उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 2421/पांच-8-2016-म0(345)/2012टी0सी0-2

लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 सुनीति महेन्द्र की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन की गयी। डा0 सुनीति महेन्द्र फैलोशिप में अध्ययनरत होने के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकी थी।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सुनीति महेन्द्र, चिकित्साधिकारी(नेत्र रोग विशेषज्ञ) की मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन की गई तैनाती को संशोधित करते हुए डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 सुनीति महेन्द्र, चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग विशेषज्ञ) को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-09-2014 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

अवधेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-2421 (1)/पांच-8-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/देवीपाटन मण्डल,गोण्डा।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच।
8- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ।
8- कोषाधिकारी, बलरामपुर/लखनऊ।
9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

U.o-M-N

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-2351 /पांच-8-2016-जी(192)/2016

लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पॉच-8-12-म(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 जितेश हरनारायण तिवारी चिकित्साधिकारी की नियुक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के अधीन की गई थी, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 30-10-2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खोरिया में कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 02-02-2014 से वे सेवा में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये, उनके द्वारा दिनांक 15-06-2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के पत्र संख्या-स्था0/चि0अ0/योगदान/ 2016-17/3017, दिनांक 16-06-2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या एवं की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त डा0 जितेश हरनारायण तिवारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा के अधीन इस शर्त के साथ सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 जितेश हरनारायण तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25-09-2016 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त/समाप्त समझा जायेगा।

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव।

संख्या-2351 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0,लखनऊ।
3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बस्ती/आगरा मण्डल ।
5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती/मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती/मथुरा।
7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
8- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव

manglam UO

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 2377 /पांच-8-2015-05(नियुक्ति)/2008

लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5702/चि0-3-2008-05(नियुक्ति)/2008, दिनांक 15-12-2008 द्वारा डा0 रजनीश गुप्ता, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। तदोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-6055/चि0-3-2008-05(नियुक्ति)/2008, दिनांक 20-01-2009 द्वारा इनकी संशोधित तैनाती जनपद-लखनऊ में की गयी। जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पी0जी0 अध्ययनरत हो गये थे। अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त पुनः कार्यभार ग्रहण कराये जाने के किये गये अनुरोध पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 18-12-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-26/746/पांच-8-2015-5(नियुक्ति)/2008, दिनांक 24-02-2015 के क्रम संख्या-2 द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती में तैनाती की गयी। डा0 रजनीश गुप्ता के पत्र दिनांक 02-03-2015 एवं दिनांक 11-07-2016 द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अपनी तैनाती जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती से परिवर्तित कर जनपद-लखनऊ/रायबरेली/उन्नाव में तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 रजनीश गुप्ता, एम0डी0(फिजियोलाजी) की जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 रजनीश गुप्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति की गणना इनके सेवा सम्बन्धी लाभों हेतु आगणित नहीं की जायेगी।

2- डा0 रजनीश गुप्ता, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25-09-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अवधेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

क्रमशः,,,,,,,,

U.O.M-R

संख्या- 2377 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 रजनीश गुप्ता, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 25-09-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच/लखनऊ/रायबरेली।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती।

7- कोषाधिकारी, बहराइच/लखनऊ/रायबरेली/श्रावस्ती।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

U.O.M-R